WWW.LIVELAW.IN

22.12.2020

आज यह प्रार्थनापत्र राकेश कुमार पालीवाल, पुलिस उपाधीक्षक, एस०टी०एफ०- गौतमबुद्ध नगर द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो अभियोजन अधिकारी, मथुरा द्वारा अग्रसारित किया गया है।

सुना। प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया।

मु०अ०सं० 199/2020, धारा 153ए,295ए,124ए,120बी भारतीय दण्ड विधान, 17/18 विधि विरूद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम एवं 65,72 आई.टी. एक्ट, थाना मांट, मथुरा सरकार बनाम अतीकुर्ररहमान आदि में अभियुक्तों का रिमाण्ड कार्य अब तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा किया गया है, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय " क्रिमिनल अपील नं० 667/2020 (स्पेशल लीव पिटीशन (क्रि०) नं० 2933/2020) बिक्रमजीत सिंह बनाम द स्टेट ऑफ पंजाब " में स्थिति स्पष्ट करते हुए यह अवधारित किया है कि ऐसे मामले में कोई भी रिमाण्ड कार्य सेशन जज के अतिरिक्त किसी न्यायालय को करने का अधिकार नहीं है। तदनुसार इस मामले से संबंधित समस्त रिमाण्ड प्रपत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा अविलम्ब अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 01, मथुरा के न्यायालय में प्राप्त कराना सुनिश्चित करायें और जब तक विधिक प्रावधानों के अनुसार कोई न्यायालय इस प्रकृति के मामलों की सुनवाई हेतु विशेष रूप से अधिसूचित नहीं हो जाती, तब तक अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 01, मथुरा ही रिमाण्ड कार्य या ऐसे मामलों में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

WWW.LIVELAW.IN